राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – सविता शर्मा, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र सं. 51/2024

GCMS No. 2024/196

मोहर सिंह पुत्र श्री हीरा आयु 50 वर्ष जाति मेघवाल निवासी बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज0)

......प्रार्थी

ब–ना–म

1. अरूण पुत्र श्री भीखा निवासी वार्ड नं. 12 बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज0)
2. इन्द्रा पुत्री भीखाराम पत्नी सुनिल जाति मेघवाल निवासी हाल वार्ड नं. 03 गांव बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
3. ओमप्रकाश पुत्र नारायण जाति मेघवाल वार्ड नं. 12 बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना, राज0
4. कमला देवी पत्नी स्व. जीताराम
5. कुलदीप पुत्र श्री सीताराम
6. गीता देवी पत्नी स्व. भीखाराम
7. घीसाराम पुत्र हीरा
8. जुगलाल पुत्र नाथाराम जाति मेघवाल निवासीगण वार्ड नं. 12 बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना, राज0
9. ज्यौति चौपड़ा पुत्री स्व. जीताराम पत्नी सत्यवीर हाल निवासी वार्ड नं. 11 ग्राम अड़ूका तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं, राज0
10. तीजा पुत्री भीखाराम पत्नी राजेन्द्र निवासी हाल वार्ड नं. 05 ग्राम तोगड़ा
11. दीपान्शु चौपड़ा पुत्र स्व. जीताराम जाति मेघवाल वार्ड नं. 12 बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना, राज0
12. दीपिका चौपड़ा पुत्री स्व. जीताराम पत्नी दलिप हाल वार्ड नं. 01 झुन्झुनूं
13. पतासी देवी पत्नी स्व. सीताराम
14. बलबीर पुत्र सीताराम जाति मेघवाल वार्ड नं. 12 बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना, राज0
15. मन्जू पुत्री स्व. भीखाराम पत्नी ईश्वर जाति मेघ्वाल निवासी घरडू जिला झुन्झुनूं, राज0
16. मनोज कुमार पुत्र भीखाराम जाति मेघवाल वार्ड नं. 12 बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना, राज0
17. ममता पुत्री भीखाराम पत्नी राधेश्याम हाल निवासी वार्ड नं. 05 ग्राम सलामपुर
18. ममता पुत्री स्व. सीताराम
19. महेन्द्र पुत्र नाराणा

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

20. रतनी चौपड़ा पुत्री जीताराम जाति मेघवाल वार्ड नं. 12 बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना, राज0
21. सुनिता चौपड़ा पुत्री जीताराम पत्नी हरि हाल निवासी वार्ड नं. 05 शहर दिल्ली
22. सरबती पत्नी स्व. नाराणा जाति मेघवाल वार्ड नं. 12 बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना, राज0
23. साहनू पुत्री स्व. भीखाराम पत्नी विजेन्द्र हाल निवासी वार्ड नं. 03 ग्राम बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
24. उप पंजीयक, खेतड़ी जिला नीमकाथाना, राज0

.........अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

:: निर्णय ::

दिनांक 02–07–2024

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना में स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2073–2076 के खाता संख्या 555 के खसरा नंबर 2403/1162 रकबा 0.07 है., ख.नं. 878 रकबा 0.10 है. कुल किता 2 कुल रकबा 0.17 है. में वादी का हिस्सा 1/24 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। ग्राम बड़ाऊ तहसील खेतड़ी में स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2073–2076 के खाता संख्या 311 के खसरा नंबर 1184 रकबा 3.56 है. भूमि में वादी का हिस्सा 1/24 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 23 दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार वादी व प्रतिवादीगण दोनों खातों की भूमि पर अपने–अपने हिस्से के अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे हैं। अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 23 को प्रार्थी के हिससे की भूमि के कब्जे काश्त में बाधा पहुंचाने व प्रार्थी को काश्त करने में रूकावट पैदा करने, प्रार्थी के हिस्से पर कब्जा करने का व संयुक्त खातेदारी भूमि का खाता विभाजन करवाये बिना किसी अन्य को बेचान, रहन, दान आदि करने का व निर्माण आदि करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यदि अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 23 द्वारा किसी भूमाफिया/ स्ट्रेंजर व्यक्ति को संयुक्त खातेदारी की भूमि का बेचान आदि करा देते हैं तो प्रार्थी को अपने हिस्से की भूमि को काश्त करने में भारी परेशानी होगी जिससे प्रार्थी को ऐसी अपूर्तनीय क्षति होगी जिसका मुद्रा में मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा। इसलिए प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी का यह प्रथम दृष्टया मामला है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि :–

(क) अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 23 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया वे कि वह प्रार्थना पत्र के खण्ड नं. 2 व 3 में वर्णित भूमि में प्रार्थी के हिस्से की भूमि पर किसी प्रकार के कब्जे काश्त में दखलंदाजी ना करें, ऐसा ना तो वे स्वयं ही करें एवं ना ही किसी अन्य से करवाये। तथा प्रार्थी के हिस्से की भूमि में काश्त आदि करने में कोई दखलंदाजी ना तो अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 23 करें एवं ना ही अन्य किसी करवाये।

(ख) अप्रार्थी सं. 24 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि अप्रार्थीगण उनके समक्ष विवादित भूमि की बाबत किसी प्रकार विक्रय पत्र, दान पत्र आदि पंजीकृतम करवाने के लिए पेश करें तो उसे पंजीकृत नहीं करे ना ही इंतकाल तस्दीक करें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 23 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर प्रार्थना पत्र

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त वर्णित खसरा नंबरान में सभी पक्षकारान बाहमी बंटवारे के अनुसार मौके पर अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं इस बाबत एक समझौता पत्र भी दिनांक 17.05.2024 को लिखवा कर नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवाया जा चुका है। प्रार्थी बेईमानीपूर्वक अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि सड़क सीमा पर लेना चाहता है जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त में अनावश्यक दखलंदाजी व विवाद करता है जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी के इस कृत्य से अप्रार्थीगण को भारी अपूर्तनीय क्षति हो रही है जिसका मुद्रा में मूल्यांकन किया जाना संभव नहीं है। अप्रार्थीगण का यह प्रथम दृष्टया मामला है एवं सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे तथा प्रार्थी को पाबन्द किया जावे कि वह अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी या बाधा उत्पन्न न करें ऐसा ना तो वह स्वयं करें ना ही अपने किसी परिजनों/रिश्तेदारों से करवायें।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत् 2073–76 खाता सं. 555 व खाता सं. 311 ग्राम बड़ाऊ में प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 23 संयुक्त खातेदार दर्ज रिकार्ड है। अर्थात् उक्त वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसका विधिवत खाता विभाजन नहीं हुआ है जिसमें प्रार्थी का 1/24 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। वादग्रस्त भूमि का विधिवत् खाता विभाजन नहीं होने के कारण प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की स्थिति स्पष्ट नहीं है। वाद में वर्णित अनुतोष का निर्धारण विस्तृत साक्ष्य एवं रिकॉर्ड के आधार पर किया जाना उचित होगा। इस प्रकार प्रार्थना पत्र में विचारणीय बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होते हैं। इस प्रकार अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं हो रहा है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 02–07–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

02/7/24

(सविता शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी